RAJYA SABHA

**Wednesday the 24th July, 1991/ Sravana 2, 1913 (Saka)*

The House met at eleven of the clock, **Mr. Chairman** in the Chair.

ORAL ANSWERS TO QUESTIONS

Quota of telephone connections for members of Parliament

*141. SHRI PRAMOD MAHAJAN :†
SHRI AJIT P. K. JOGI :

Will the Minister of COMMUNICATIONS be pleased to state :

(a) whether Government have withdrawn the M.P's. quota of recommending 15 telephone connections for installation per year; and

(b) if so, what are the reasons therefor?

THE DEPUTY MINISTER IN THE MINISTRY OF COMMUNICATIONS (SHRI P. V. RANGAYYA NAIDU). (a) No, Sir.

(b) Does not arise.

श्री प्रमोद महाजन : सभापति जी यद्यपि सरकार की ओर से उत्तर में यह कहा गया है कि हमने संसद सदस्यों की सिफारिश का कोटा वापस नहीं लिया है, परन्तु वास्तविकता यह है कि सिफारिश पर किसी प्रकार का कोई अमल हो नहीं रहा है । मैं बहुत दूर की बात नहीं कहूंगा, कल छुट्टी थी परसों मैंने मुम्बई महानगर टेलीफोन निगम के कुछ उच्च अधिकारियों से बात की और उनसे पूछा कि संसद सदस्यों की जो सिफारिश आती है उसके अनुसार टेलीफोन लगते हैं या नहीं ? उस पर उनका यह जवाब था कि पिछली सरकार ने ढेर सारे टेलीफोन कनेक्शन्स की आज्ञायें दे दी थीं और उन पर एक एडमिनिस्ट्रेटिव आर्डर द्वारा मंत्रालय ने अमल करने पर रोक लगा दी है और इस कारण से मंत्री की आज्ञायें और जो संसद सदस्यों को सिफारिश के रूप में अधिकार मिला था, उसकी आज्ञायें, सब पर अमल करने पर रोक लगी हुई है । इस संबंध में आज तक किसी प्रकार का कोई अमल नहीं हुआ है। मैं मंत्री महोदय से यह जानना चाहूंगा कि क्या यह एडमिनिस्ट्रेटिव आर्डर जिसके अन्तर्गत अमल न करें, इस प्रकार की आज्ञा ली गई है, आपकी जानकारी में है ? मेरा दूसरा प्रश्न यह है कि आज तक कितने संसद सदस्यों ने सिफारिशें की हैं और उनमें से कितने लोगों को टेलीफोन मिले हैं ?

श्री राजेश पायलट : चेयरमैन महोदय यह बात सही है कि पिछली सरकार ने यह फैसला लिया था कि 15 कनेक्शन्स, 5 राज्य सभा के सांसद जहां वे मांगें और 10 उनके प्रदेश में देने का, ऐसा फैसला पिछली सरकार ने लिया था । अब हमारी सरकार आई तो मुझे यह केस बताया गया और उसमें ये तथ्य दिये गये कि मई के महीने में इन्हीं की सरकार ने एक इन्वेस्टिगेशन टीम बैठाई थी कि उसमें कुछ फेक कनेक्शन्स दिये गये हैं । मैंने यह फायल देखी तो मैंने उनसे पूछा कि इसमें आप कितना टाइम लेंगे क्योंकि जिन सांसदों ने अपनी रिकमेन्डेशन दी है उन सांसदों के दस्तखत भी फेक हो गये थे । उसमें यह पता नहीं पड़ता था कि सांसद महोदय कौन से 10 कनेक्शन्स दिये हैं जिनको मिलना चाहिए । हमारे सामने दो बातें थीं । एक तो सब को दुबारा लिखें और पता करवायें । इसमें टाइम लगेगा 20–21 हजार कनेक्शन्स को वेरीफाई करते रहेंगे और सांसद महोदय सोचेंगे कि सरकार करना नहीं चाहती है । इसलिए हमने यह फैसला लिया कि जिन

†The question was actually asked on the floor of the House by Shri Pramod Mahajan.

*The sitting of the House fixed for Monday the 22nd July, 1991 was cancelled and Notices of questions (Starred Questions 121 to 140 and Unstarred Questions 498 to 564) given for that day stood lapsed.

मेम्बर आफ पार्लियामेंट ने सेंक्शन है उनको कनेक्शन दे दें और सांसद महोदय को लिख दें कि आपने ये नाम भेजे थे इनको कनेक्शन्स दिये गये हैं । कोई फैक होगा तो सांसद महोदय खुद ही बता देंगे । यह सब गुड हमने सिप्रिट में लिया है । परसों मैंने चिट्ठियां लिखी हैं । आपको आज या कल को चिट्ठियां मिल जएंगी । मैं सदन में यह भरोसा दिलाना चाहता हूं कि सांसदों की सिफारिश पर हम पूरा अमल कर रहे हैं और करते रहेंगे और आगे के लिए इसको लागू रखेंगे ।

श्री प्रमोद महाजन : दूसरा पूरक प्रश्न मैं यह पूछना चाहूंगा कि जिन लोकसभा के सदस्यों ने, जो नौवीं लोकसभा में थे और उन्होंने सिफारिश की थी और वे दसवीं लोकसभा में चुनकर नहीं आये हैं तो नौवीं लोकसभा के सदस्य होने के कारण 15 सिफारिशों का जो उनका अधिकार था क्या उन पर भी अमल होगा जिनकी सिफारिशें आ चुकी थीं ? और इसका (ख) हिस्सा यह है कि जो फिर से लोकसभा में चुनकर आये हैं तो क्या इस साल उनको अलग से दुबारा 15 कनेक्शन मिलेंगे ? ये मेरे पूरक प्रश्न हैं ।

श्री राजेश पायलट : चैयरमैन सर, हमारा उद्देश्य यह है कि ऐसे हालत देश न आयें जब कि सिफारिश पर टेलीफोन मिले। हम लोग इस नीति को बदलना चाह रहे हैं और रजिस्ट्रेशन के हिसाब से, जो हमारे नागरिक भाई दरकास्त दें तो उनको कम से कम समय में टेलीफोन मिल जाय । आज हमें जरुरत क्यों पड़ी ? क्योंकि वेटिंग लिस्ट 10–12 साल तक पहुंच रही है । हम लोगों ने फैसला किया है सांसदों का यह जो प्रिवलेज है इससे अलग ज्यादा से ज्यादा एक या दो परसेंट ही हम आउट आफ टर्न रखें और ज्यादा आउट आफ टर्न न रखें । नहीं तो सरकार की और डिपार्टमेंट की क्रेडिटिबिलिटी इतनी खत्म हो जायगी कि कोई भी नागरिक रजिस्ट्रेशन नहीं करायेगा और किसी न किसी रूप में आउट आफ टर्न की कोशिश करता रहेगा । लेकिन जो सांसद पहले रेकमंड कर चुके हैं, उनकी बात की हम इज्जत रखेंगे और उनको भी मंजूर करेंगे और जो आप संसद सदस्य दे रहे हैं उनको भी मंजूर करेंगे । इसमें हम कोई भेदभाव नहीं करेंगे ।

श्री सभापति : यह 15 पर एयर है या पूरे टर्म के लिये है ?

श्री राजेश पायलट : सभापति महोदय जो सिफारिश आई हैं उन सब को निकालना ही होगा, जैसा भी हो सकेगा ।

श्री सभापति : यह 15 प्रति वर्ष का है या पूरे टर्म का है, मैं यह पूछ रहा हूं ?

SHRI RAJESH PILOT : It is per year.

श्री अजीत जोगी : सभापति महोदय, मंत्री जी ने आश्वासन दिया है कि सांसदों की अनुशंसा पर टेलीफोन दिये जायेंगे । मैं उनसे यह भी जानना चाहूंगा कि लोकसभा के सांसदों में तो कुछ परिवर्तित भी हुए हैं, कुछ नये चुनकर आये हैं किन्तु राज्यसभा के लगभग सभी संसद सदस्य वहीं हैं । तो मैं यह जानना चाहता हूं कि उन्होंने जो अनुशंसा की थी तो उनसे क्या वे संख्याएं बतायेंगे कि कुल कितनी अनुशंसायें हमारे इस सदन के सदस्यों ने की थी और उनमें से कितने टेलीफोन अब तक लग चुके हैं और कितने नहीं लगे हैं ? उनके न लगने का क्या कारण है ? और (ख) मैं यह भी जानना चाहूंगा कि मंत्री महोदय ने यह भी बताया है कि पिछली सरकार के समय जो इस तरह की अनुशंसायें टेलीफोन कनेक्शन की थी, उनमें कुछ गड़बड़ियों के आरोप होने के कारण जांच चल रही है । तो क्या मंत्री महोदय यह भी बतायेंगे तो संसद सदस्यों के अतिरिक्त पिछली सरकार के समय कितने ऐसे आउट आफ टर्न टेलीफोन स्वीकृत हुए थे और उनके संबंध में किस तरह की शिकायतें हैं और क्या जांच हो रही है ? इस जांच

से क्या कोई निष्कर्ष निकले हैं यह भी मंत्री महोदय बताने की कृपा करें ?

श्री राजेश पायलट : चैयरमैन सर यह बताना तो बहुत मुश्किल है । यह इन्फर्मेशन तो हमारे आनरेबल मेंबर्स दे सकते हैं कि कितनी उनकी रेकमेंडेशन आई हैं लेकिन यह बताना बहुत मुश्किल है कि वह लग के चुके हैं या नहीं लग चुके हैं क्योंकि जहां लगे हैं जब जहां से इन्फर्मेशन आयेंगी तभी मैं सदन को पूरी इन्फर्मेशन दे सकत हूं ।

श्री अजीत जोगी : सभापति महोदय, ज्यादातर लगे नहीं इसलिये हम जानना चाह रहे हैं ।

श्री राजेश पायलट : यह बात सही है कि लगे नहीं हैं। क्योंकि बीच में इसमें जो इन्वेस्टीगेशन चल रहा था उसके कारण थोड़ा डिपार्टमेंट में कुछ संशय हो गया था कि लगायें या न लगायें । लेकिन अब क्लेयर आर्डर दे दिये गये हैं । मैंने परसों ही सारे संसद सदस्यों को चिट्ठी लिखी है जो सांसदों को आज या कल में मिल जायेगी । वे इस बारे में हमारी मदद कर सकते हैं कि लगे हैं या नहीं लगे हैं जिससे कि हम उनके इस कार्य को तेज कर सकें ।

श्री सभापति : क्या आप यह कोशिश करेंगे कि इस सेशन के खत्म होने तक । पहले वाले पूरे हो जायें ?

श्री राजेश पायलट : टेक्नीकल फिजिबिलिटी भी देखनी पड़ती है क्योंकि सी जगह अगर सेंक्शन हो जाय जहां हमारी कैपेसिटी इतनी नहीं है तो पहले हमें वहां अपनी कैपेसिटी बढ़ानी शजहांत थोड़ा बहुत वक्त उस में लग सकता है । (व्यवधान)

श्री संघ प्रिय गौतम : राज्य सभा वालों का तो क्लीयर कर दें उनका तो कोई सम्बन्ध नहीं है (व्यवधान)

श्री राजेश पायलट सासदों : ने भी जो अपनी तरफ से स्वीकृतियां दी हैं, मैंने पहले ही सदन में कहा है कि राज्य सभा हो या लोक सभा के सदस्य हों या जो जीत कर के नहीं आए हैं उनकी रिकमेंडेशंस भी हम लागू कर रहे हैं । यह तो मैंने पहले ही कह दिया है कि उनको हम अलाट कर रहे हैं । दूसरा सवाल था अभी जो इनवेस्टीगेशन चल रही है उस में किसी निष्कर्ष पर पहुंचे हैं या नहीं पहुंचे हैं । सभापति महोदय, नवम्बर, 1990 से जून, 1991 तक 21890 टेलीफोन कनेक्शन आऊट आफ टर्न स्वीकृत हुए है (व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : सांसदों को छोड़ कर ?

श्री राजेश पायलट : सांसदों को लगा दें तब भी 10-11 हजार बैठेंगे, 10 हजार से ऊपर नहीं जाते हैं । यह सारे के सारे मंजूर हुए थे यह फिगर मेरे पास है । यह बताना बहुत मुश्किल है कि कितने मैम्बर्ज आफ पार्लियामेंट ने मंजूर किये हैं और कितने संसद् सदस्यों ने रिकमेंड किये हैं । यदि थोड़ा टाइम मिल जाए तो यह इनफारमेशन म सदन को दे सकता हूं ।

श्री अजीत जोगी : जांच के विषय में कुछ नहीं बताया ।

श्री राजेश पायलट : जाच चल रही है । जैसे ही जांच कम्पलीट होगी तब मैं बता सकूंगा ।

श्री मदन लाल पंवार : सभापति महोदय, संचार मंत्रालय में प्रत्येक एम० पी० की अलग फाइल टेलीफोन कनेक्शन की खुली हुई है । जिस प्रकार से एल० पी० जी कनेक्शन के सम्बन्ध में कम्प्युट्राइजेशन द्वारा जो कनेक्शन मंजूर किये जाते हैं उनकी लिस्ट मिलती है उसी प्रकार क्या मंत्री महोदय संचार मंत्रालय में भी कोई कम्प्युट्राइजेशन की व्यवस्था करेंगे ? इससे उनके साथ डिस-क्रिमिनेशन नहीं होगा जैसे अभी सारी फाइलें मिनिस्ट्री आफ कम्यूनिकेशन से सी० बी० आई० को चली गई हैं, उसकी कोई आवश्यकता ही नहीं थी । अगर एम० पीज० की अलग से फाइल हो तो उस में पता लग जाएगा कि उस एम०पी

ने कितने अपनी तरफ से लेटर टेलीफोन कनेक्शन मंजूर करने के लिए भेजे हैं। इसलिए कम्प्युटर द्वारा आप जल्दी से जल्दी साट आउट कर सकेंगे तो मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या आप इस तरह की कोई व्यवस्था एम०पीज० के लिए करेंगे ?

श्री सभापति : क्या आप कम्प्युट्राइजेशन करेंगे या नहीं करेंगे ?

श्री राजेश पायलट : सभापति जी, कम्प्युट्राइजेशन भी होगा, फाइल भी होगी, इतना अहम . . . (**व्यवधान**)

श्री सभापति : फाइल जैसे पुलिस में चलती है एम०पीज० की भी चला दें।

श्री राजेश पायलट : सदन को विश्वास रखना चाहिए कि ऐसी तकलीफ माननीय सदस्यों को नहीं देंगे। ऐसी कोई प्रणाली जरूर निकालेंगे इस में कोई चिंता न करें।

SHR KAMAL MORARKA: Sir, I wish to know from the Minister whether there is any policy decision taken by him about the out-of-turn connections sanctioned by his predecessor and whether the Minister is going to review or cancell the out-of-turn connections... (*Interruptions*)...

SHRI MURLIDHAR CHANDRAKANT BHANDARE: Where is the predecessor?... (*Interruptions*)...

SHR KAMAL MORARKA: Sir, my question is very simple. We have been readnig in the newspapers that the Minister of Communications has taken a decision to review all the out-of-turn connections sanctioned by his predecessor. I want to know whether this is a fact that you are reviewing it or are you going to let it remain as it is? I am not talking of the fake connections. There are fake currencies in circulation and you do not stop the entire currency that is in circulation weed out the fake ones. But you can take action in the case of the fake connections. Is there a general policy decision to review or honour the telephone connections sanctioned by the Ministry?

SHRI RAJESH PILOT: Sir, we are considering the procedure that has to be adopted. Meanwhile, as I have already said, there were complaints and investigation into these complaints was ordered by the previous Government itself. It was not our Government that ordered these investigations. The previous Government realised that there had been a lot of mishandling and misappropriation. We are waiting for the report. But as far as the connections sanctioned by the previous Government are concerned, I would like to assure the Member that they will be honoured even if it requires us to accommodate more people. But something must be done to stop this practice. I was mentioning to Pramodji that I received a letter from a citizen who had registered for a connection in 1983 and did not get it, while his neighbour who had registered in 1989 has got three telephone connections! And, Sir, a man who has constructed his house in 1983 and who has registered himself—he is a retired Government servant—does not get it. So, let us not shake up the confidence of the citizen and create an impression that genuine people will not get it earlier and only other pressures will work. So, our effort is to produce much and to increase production more so that the waiting list comes as near as possible to the level of allotment. That is our aim. If this happens, then recommendations, out-of-turn allotments, etc. will go away. Recommendations out-of-turn allotment requests, come because we are not able to give them...

SHRI P. UPENDRA: Regular connections.

SHRI RAJESH PILOT: ... regular connections in time. So, our efforts are to increase our production and give them connections in the earliest possible time and towards that we will work.

कुमारी चन्द्रिका प्रेमजी केनिया : सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से यह कहना चाहूंगी कि आपने जो कोटा तय किया है खास कर के मैम्बर्स आफ पार्लियामेंट के लिए वह तो है लेकिन ऐसे किस्से भी बहुत होते हैं कि टेलीफोन एक दिन में लगाने वाले मिल जाते हैं जो

मम्बर आफ पार्लियामेंट नहीं होते हैं। खास करके बम्बई में मैंने यह बात देखी है। हम कहते हैं कि मेम्बर आफ पार्लियामेंट को आप कोटा दे रहे हैं और पूरे सिस्टम को बिगाड़ रहे हैं लेकिन ऐसे भी किस्से नजर आते हैं कि एक दिन में टेलीफोन लगाने के लिए जो ताकत और जरूरत है वह नजर के सामने आती है। मैं आपसे यह गुजारिश करना चाहूंगी कि जो कोटा आपने फिक्स किया है 15 टेलीफोन्स का क्या वह कोटा आप एम०पीज० के लिए बढ़ाना चाहेंगे और खासकर महिलाओं के लिए? ... (व्यवधान) उनके लिए कम से कम 20 कर दीजिए।

श्री सभापति : और स्पेशली बम्बई वालों के लिए।

श्री राजेश पायलट : सभापति महोदय, जैसा मैंने पहले कहा कि जेनइन केसेज में तो कोई दिक्कत नहीं है। कभी कोई आनरेबुल मेंबर आफ पार्लियामेंट अपने कोटे से बाहर भी समझे कि मेरे जेनुइन 16 हैं मैं 15 ही कर सकता हूं तो सरकार उनसे बाहर नहीं है, उनके साथ है। इनके काम के लिये मैं इस वक्त यही वादा दे सकता हूं कि मेरे कोटे को भी माननीया सदस्या यूज कर लें, कोई दिक्कत नहीं है लेकिन कोटा ज्यादा मत बढ़वायें। यदि कोटा आप ज्यादा बढ़वायेंगी तो आउट आफ टर्न ही रह जायेगा, जेनुइन आदमी को नहीं मिल पायेगा।

श्री मोहम्मद अफ ल उर्फ समोम अफ ल : सभापति महोदय, आपके माध्यम से मंत्री महोदय से यह पूछना चाहता हूं कि पहले जो कोटा मुकर्रर किया गया उसमें 10 कांस्टीटुएंसीज के लिये है और 5 कहीं भी पूरे हिन्दुस्तान में लगा सकते हैं। अब राज्य सभा के लिये कांस्टीटुएंसी क्या होगी?

एक माननीय सदस्य : स्टेट।

श्री मोहम्मद अफजल उर्फ मोम अफजल : मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या ऐसा कोई प्रोपोजल है कि एम० पीज० का जो 15 का कोटा है उसको कांस्टीटुएंसी तक या कहीं बाहर देने तक सीमित न किया जाए बल्कि जहां भी मांगे वहां के लिए कर दिया जाए। क्या ऐसा कोई प्रोपोजल है और उस पर आप गौर कर रहे हैं?

श्री राजेश पायलट : सभापति महोदय, जो मैंने रिकार्डिंग पढ़ी है, जो रिकार्डस हैं उनसे मुझे ऐसा लगता है कि जो पिछली सरकार ने सुझाव भेजे थे उसमें यह सांसदों की तरफ से ही सुझाव था कि 5 कहीं भी हों और 10 हमारे प्रदेश में, अतः हम सांसदों की इच्छा के अनुसार ही उसको फालो कर रहे हैं।

MR. CHAIRMAN: Yes, Mr. Dipen Ghosh.

SHRI DIPEN GHOSH: Sir, the honourable Minister is aware that some of the exchanges are already closed and some exchanges are still open. In this connection, I want to know one thing. I would like to know what the Government is going to do for giving connections from the out-of-turn quota, whether on MPs' account or Ministers' account or other VIPs' account, in respect of exchanges which are closed closed for the public also, because no new conections are given or no new subscribers are allowed under these exchanges because of...

MR. CHAIRMAN: Lack of capacity.

SHRI DIPEN GHOSH: ...lack of capacity, want of equipment which are to be imported, want of cable joint, etc. I would like to know whether, in such cases, the Government is proposing to expand such exchanges in order to accommodate the recommendations of the MPs or other VIPs including Ministers and, if so, whether such expanded facilities will be open to the public also.

SHRI RAJESH PILOT: Sir, I have already stated that we have started an expansion programme for telecommunication all over the country and, if we do not do that, ultimately, we reach a bottleneck stage where we cannot catch up with the communication speed which is needed in the country today and the whole House is aware that communication has become one of the necessities for development of any sector in the country. This is an

expansion programme already chalked out. Our information is that in an exchange the waiting list is sometimes more than the capacity. Suppose it is 50,000 line capacity the waiting list is 60,000. These are the bad cases which we are reviewing. We are trying to increase the capacity. The waiting list should never go beyond the capacity of that particular exchange. The review is going on. There will be some cases where the capacity is not there. We have to do some planning in accordance with the capacity of that particular sector or particular exchange.

MR. CHAIRMAN: Question No. 142.

Release of militant Sikh detenus

*142. SHRI MAHENDRA PRASAD :†
SHRI MURLIDHAR CHANDRAKANT BHANDARE:

Will the Minister of HOME AFFAIRS be pleased to state:

(a) whether it is a fact that hundreds of militant Sikh detenus were freed in May this year, as reported in the Statesman of May 13, 1991;

(b) if so, the exact number thereof; and

(c) to what extent the same has resulted in bringing down the militant activities in Punjab and also for creating a climate congenial for free and fair general elections in the State ?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF PARLIAMENTARY AFFAIRS AND THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF HOME AFFAIRS (SHRI M. M. JACOB): (a) and (b) As a goodwill gesture for creating a climate congenial for the holding of free and fair general elections notified in April 1991, the Government of Punjab had decided to withdraw 252 cases releasing 356 detenus.

(c) Militant activities have not substantially reduced. In fact, some of the candidates were killed.

†The question was actually asked on the floor of the House by Shri Mahendra Prasad.

SHRI MAHENDRA PRASAD: May I know whether the Government has held any talks with different sections of militants to bring about a congenial atmosphere ? If so, with which sections of the militants the talks were held, what were the precise issues and what was the outcome thereof ?

SHRI S. B. CHAVAN: Sir, the dialogue has been started with some of the politicians in Punjab. But we have not been able to contact some of the militant organizations. And I have my own reservations. But still we are going to try to contact some of the militants who believe in the integrity and unity of the country and believe in the Constitution. If they are prepared to accept these conditions, the Government is prepared to talk to them.

AN HON. MEMBER: Did the Government contact any section of the militants ?

SHRI S. B. CHAVAN: Not yet.

SHR MAHENDRA PRASAD: Sir as it is well known, in Punjab politics has been mixed with religion and some of the political parties tried to exploit religious emotions in the General Elections. May I know whether the Government has taken any effective steps to separate religion from politics following the High Court judgment declaring elections of certain candidates as void—who tried to exploit religion in elections.

SHRI S. B. CHAVAN: The reply to the question is given by the hon. Member himself that election petitions can be filed in courts. The same will be applicable in the case of those who utilize religion for getting votes.

SHRI MAHENDRA PRASAD: Do you want any law to be passed not to allow any party advocating religious sentiments to participate in elections ?

SHRI S. B. CHAVAN: Actually there is nothing of the type under consideration of the Government at this stage.

SHRI MURLIDHAR CHANDRAKANT BHANDARE: Sir, there is more than meets the eye. After listening to the